26/10 पत्रावली कोर्ट में पेश हुई। प्रार्थी/आवेदिका उप० प्रतिवादीगण को वा० सूचना वाद स्थगित विषयक से अवगत किया जाता है कि विवादित सम्पत्ति की मौका का स्थानान्तरित किया जाने की व्यवस्था बनाये रखते। पत्रावली सूचीबद्ध होकर अग्रिम से काम हेतु वाद तकमीली संक्रान्त वाद है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner